

19.07.2022:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे तहसीलदारा राजस्व हनुमानगढ को पत्र जारी किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरकीज तकमील देाखिल दफतर हो।

Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ